कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in ☎ 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0–05/2020–278 दिनांक : 26.03.2021

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची/वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन, राँची/वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, राँची/ उप वन संरक्षक, प्रशिक्षण, राँची।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यान्वित की जाने वाली "प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत शोध एवं अन्य कार्यों के लिए **रू0 95.566 लाख (पनचानवे लाख छप्पन हजार छः सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–27/2020–37/स्वी0 व0प0 दिनांक 25.03.2021 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0ब0–32/2020–50/आ0 व0प0 दिनांक 25.01.2021 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष–60 प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020–21 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 95.566 लाख (पनचानवे लाख छप्पन हजार छः सौ रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101600103	69.144
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101600323	15.852
परामर्शी शुल्क	19S240601101600331	10.570
कुल :–		**95.566**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1 (क)** से **1 (च)** पर वर्णित सभी पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यो की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2 (क)** से **2 (झ)** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S240601101600103, 19S240601101600323, एवं 19S240601101600331 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.1998 एवं समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरुप किया जायेगा।

D:\DEVELOPMENT\2020-21\Allotment\OA\Training, Publicity & Research\S.O. 37 dt 25.03.2021 (6)\Scheme.doc

5. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, शोध एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड होंगे, उनके द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी को मार्गदर्शन किया जाएगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नियमित रुप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

10. नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा किया जाएगा। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकती है।

11. ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, इस संबंधी सूचना इस कार्यालय को दी जाए।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं हो, यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

13. दो या दो से अधिक स्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रुप से अंकित रखा जायेगा। शोध से संबंधित कृषि वानिकी एवं एग्रोफोरेस्ट्री से संबंधित शोध पर किये जा रहे व्यय एवं प्राप्त राजस्व से संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

14. (i) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100% निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100% भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।

(iii) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(iv) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(v) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लिया जाएगा।

(vi) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैर्टन पर तैयार करायें।

(vii) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्तिकर्त्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति मे नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(viii) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(ix) Income tax (IT)/ Service Tax (GST/VAT)/ Mines Royality के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेगें तथा ससमय return जमा करेगें।

15. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(i) सभी यंत्र–संयत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(ii) वैसे यंत्र–संयत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

16. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ–जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवास इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

17. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान के तहत हजारीबाग, गिरीडीह एवं गोड्डा जिलों में योजना के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक–1204 दिनांक– 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को तुरंत देंगें। निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

20. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाए।

21. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना

सं0–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–सह–ज्ञापाक–686, दिनांक–05.02.2016 द्वारा विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरुप कार्रवाई की जायेगी।

22. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

23. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक–3542, दिनांक–19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरुप किया जायेगा ।

24. वैसी राशि जिनके व्यय की संभावना इस वित्तीय में क्षीण है, उनकी निकासी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

26/3/2021

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–05/2020–278** दिनांक–**26.03.2021**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–05/2020–278** दिनांक–**26.03.2021**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1 (क)

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यान्वित की जानेवाली "प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत किये जा रहे शोध एवं अन्य कार्यो का उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी :– वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वित्तीय वर्ष 2020–21 (तृतीय वर्ष)		
		मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v
1	Improvement of Elephant Habitat in Jharkhand to minimize human-elephant conflict.	2.400	1.900	4.300
2	Long term Ecological Analysis in 40 permanent plots (old) and establishment of 10 new permanent plots in Jharkhand.	3.540	3.400	6.940
3	Impacts of Silvicultural Operations in Sal Forest of Jharkhand.	2.160	4.212	6.372
योग :–		**8.100**	**9.512**	**17.612**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यान्वित की जानेवाली "प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत किये जा रहे शोध एवं अन्य कार्यों का उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी :– वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वित्तीय वर्ष 2020–21 (द्वितीर्य वर्ष)		
		मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v
1	Agroforestry Model development & its analysis.	4.947	1.135	6.082
योग :–		**4.947**	**1.135**	**6.082**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

D:\DEVELOPMENT\2020-21\Allotment\OA\Training, Publicity & Research\6\Scheme

अनुलग्नक–1 (ग)

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यान्वित की जानेवाली "प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत शोध से संबंधित किये जा रहे कार्यों का उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी :– वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन, राँची

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वित्तीय वर्ष 2020–21 (द्वितीर्य वर्ष)			
		मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	परामर्शी शुल्क	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi
1	Arboretum Development and its analysis - 10 ha	1.636	0.072	0.000	1.708
2	Bambusetum Development and its analysis - 7 ha	1.469	0.050	0.000	1.519
3	Soil Conservation Demonstration area Development and its analysis - 20 ha	6.818	0.503	0.000	7.321
4	Model Water Demonstration area Development and its analysis - 10 ha	2.100	0.172	0.000	2.272
5	Comparative study of multitier cropping system - 4.57 ha	7.823	3.025	0.000	10.848
6	Establishment of Demonstration site of Agroforestry with mixed forest species in natral forest - 2 ha	5.673	1.325	0.000	6.998
7	Establishment of Seed Production Area - 2.61 ha	0.194	0.058	0.000	0.252
8	Investigation on factors responsible for Sal (Shorea robusta) mortality (Consultancy) (IFP, Ranchi)	6.910	0.000	10.570	17.480
	योग :–	**32.623**	**5.205**	**10.570**	**48.398**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

D:\DEVELOPMENT\2020-21\Allotment\OA\Training, Publicity & Research\6\Scheme

अनुलग्नक–1 (घ)

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यान्वित की जानेवाली "प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी :– उप वन संरक्षक, प्रशिक्षण, राँची

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	मजदूरी	कुल राशि
i	ii	iii	iv
1	Establishing a Model of Arboretum for Training- 4 ha	4.000	4.000
2	Establishing a Model of Bamboo setum for Training- 2 ha	2.500	2.500
3	Establishing a Model of Agroforestry for Training- 6 ha	6.000	6.000
	योग :–	**12.500**	**12.500**

अनुलग्नक–1 (च)

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यान्वित की जानेवाली "प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी :– वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, राँची

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	मजदूरी	कुल राशि
i	ii	iii	iv
1	झारखण्ड राज्य में काष्ठ आधारित उद्योगों के विनियम हेतु काष्ठ की माँग, आपूर्ति एवं विपणन तथा काष्ठ आधारित उद्योग के कच्चे माल की उपलब्धता के आकलन/अध्ययन	10.974	10.974
	योग :–	**10.974**	**10.974**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

D:\DEVELOPMENT\2020-21\Allotment\OA\Training, Publicity & Research\6\Scheme

अनुलग्नक–2 (ख)

शोध एवं मुल्यांकन प्रक्षेत्र मोतीलेदा में वनस्पति उद्यान (Arboratum) की स्थापना का कार्यदर

योजना का नाम – वनस्पति उद्यान की स्थापना
कुल रकवा – 10 हे0

प्रखण्ड का नाम – देवघर
पौधों की संख्या – 4000

स्थल का नाम – घरमारा
जी0पी0एस0 रिडिंग – N-24.534601 E-86.703078

थाना न0 – देवघर 422 प्लॉट सं0 – 250 (P)

पौधों की दूरी – 5 मी0 x 5 मी0

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
ख	वित्तीय वर्ष 2020–21 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 295.80					
1	वृक्षारोपण	88	26,030.40	0.00	26,030.40	
2	दो कोड़नी एवं निकौनी	100	29,580.00	0.00	29,580.00	
3	पौधों की सुरक्षा	365	107,967.00	0.00	107,967.00	
4	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	0	-	5,680.00	5,680.00	
5	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	0	-	1,500.00	1,500.00	
	योगः–	**553**	**163,577.40**	**7,180.00**	**170,757.40**	

नोटः– बांस उद्यान की महत्ता को देखते हुए सुरक्षा पर एक व्यक्ति पुरे वर्ष के लिए रखा गया है समापन एवं संपोषण कार्य चार वर्षो तक किये जाने का प्रस्ताव है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–2 (ख)

शोध एवं मुल्यांकन प्रक्षेत्र मोतीलेदा में बाँस उद्यान (Bamboo Setum) की स्थापना का कार्यदर

योजना का नाम – बाँस उद्यान की स्थापना

कुल रकवा – 7 हे0

प्रखण्ड का नाम – देवघर

पौधों की संख्या – 2800

स्थल का नाम – खिलचक

जी0पी0एस0 रिडिंग – N-24.530084 E-86.582497

थाना न0 – सारवा प्लॉट सं0 – 8

पौधों की दूरी – 5 मी0 x 5 मी0

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
क	वित्तीय वर्ष 2020–21 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 295.80					
1	वृक्षारोपण	61.6	18,221.28	0.00	18,221.28	
2	दो कोड़नी एवं निकौनी	70	20,706.00	0.00	20,706.00	
3	पौधों की सुरक्षा	365	107,967.00	0.00	107,967.00	
4	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	0	-	3,976.00	3,976.00	
5	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	0	-	1,050.00	1,050.00	
	योगः–	**496.60**	**146,894.28**	**5,026.00**	**151,920.28**	

नोटः– बांस उद्यान की महत्ता को देखते हुए सुरक्षा पर एक व्यक्ति पुरे वर्ष केलिए रखा गया है समापन एवं संपोषण कार्य चार वर्षो तक किये जाने का प्रस्ताव है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वन भूमि पर वृक्षारोपण का कार्यदर

योजना का नाम –भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना **कुल रकवा – 20 हे0**

पौधों की दूरी–3 मी0 X 2 मी0, **पौधों की संख्या –33320**

स्थल का नाम –सिरका

थाना – अनगडा, थाना नं0 – 12 प्लॉट स0 – 2272, **G.P.S. Coordinates- N- 23°405714 E- 85°553707**

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
क	**वित्तीय वर्ष 2020–21 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 295.80**						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे0	430	127,194.00	0.00	127,194.00	
2	वृक्षारोपण	हे0	730	215,934.00	0.00	215,934.00	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे0	830	245,514.00	0.00	245,514.00	
4	ट्रेंच के बर्म पर घेरान हेतु बीज रोपण	हे0	40	11,832.00	0.00	11,832.00	
5	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक)	स्थल	275	81,345.00	0.00	81,345.00	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0	0	-	47,300.00	47,300.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0	-	3,000.00	3,000.00	
	योगः–		**2305**	**681,819.00**	**50,300.00**	**732,119.00**	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–2(ध)

जल संरक्षण–सह–वृक्षारोपण का कार्यदर

योजना का नाम – जल संरक्षण –सह – वृक्षारोपण योजना | कुल रकवा – 10 हे0

पौधों की दूरी–3 मी0 x 3 मी0, 2 मी0 x 2 मी0, 3 मी0 x 2 मी0 | पौधों की संख्या – 10000

स्थल का नाम – उपरकोनकी

थाना – पिठोरीया प्रखण्ड– कांके थाना नं0 – 21 प्लॉट स0 – 04 | G.P.S. Coordinates- N- 23°314478

क. सं0	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
क	वित्तीय वर्ष 2020–21 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 295.80						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे0	130	38,454.00	0.00	38,454.00	
2	वृक्षारोपण	हे0	220	65,076.00	0.00	65,076.00	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे0	250	73,950.00	0.00	73,950.00	
4	ट्रेंच के बर्म पर घेरान हेतु बीज रोपण	हे0	20	5,916.00	0.00	5,916.00	
5	पौधों की सुरक्षा)	स्थल	90	26,622.00	0.00	26,622.00	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक,कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे0	0	-	15,750.00	15,750.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0	-	1,500.00	1,500.00	
	योगः–		**710**	**210,018.00**	**17,250.00**	**227,268.00**	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

Comparative Study Of Multitier Cropping System under different Agroforestry System viz. Agri-Silviculture, Horti-Silviculture and Agri-Horti-Silviculture

कृषि वानिकी कार्य का कार्यदर

योजना का नाम – कृषि वानिकी कार्य की स्थापना | कुल रकवा – 4.57 हे0

पौधों की दूरी – 5 मी0 x 5 मी0 | पौधों की संख्या – 1828

स्थल का नाम – गेतलसुद

प्लॉट स0 – 2288 थाना नं0 – 09 थाना – अनगड़ा | G.P.S Coordinates - N 23.21'28.18

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
क	वित्तीय वर्ष 2020–21 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 295.80					
1	वानिकी कार्य					
1.1	वृक्षारोपण	40.2	11,895.89	0.00	11,895.89	
1.2	दो कोड़नी एवं निकौनी	45.7	13,518.06	0.00	13,518.06	
1.3	सुरक्षा पर व्यय	365.0	107,967.00	0.00	107,967.00	
1.4	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	0	-	2,595.76	2,595.76	
1.5	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	0	-	150.00	150.00	
1.6	डीजल मोबील पम्प की मरम्मति एवं संचालन पर व्यय	0	-	137,100.00	137,100.00	
2	**कृषि कार्य**		-			कृषि विज्ञान केन्द्र, राँची, जिला कृषि पदाधिकारी, राँची एवं उपायुक्त, राँची द्वारा अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर।
2.1	वर्ष में दो बार दलहन (रबी एवं खरीफ) लगाने पर व्यय (0.4 ha.)	658	194,660.06	12,151.63	206,811.69	सामग्री में 20% वृद्धि के साथ
2.2	वर्ष में तीन बार मौसमी सबजियों (रबी एवं खरीफ) लगाने पर व्यय (0.3 ha.)	548	162,216.72	150,491.93	312,708.65	सामग्री में 20% वृद्धि के साथ
3	JPF-Agroforestry Experts @ Rs. 16000/- per month	0	192,000.00	0.00	192,000.00	
4	**Training meeting & travel**		-			
4.1	Introductory workshop in project area (2 workshop)	0	50,000.00	0.00	50,000.00	
4.2	Traveling allowance to attained workshop and seminar for concerned subject	0	30,000.00	0.00	30,000.00	
5	**Data collection & reports**		-			
5.1	Data collection and Project Result Documentation	0	10,000.00	0.00	10,000.00	
5.2	COMMUNICATIONS/REPORTS/ LITERATURE/ Stationary/ other	0	10,000.00	0.00	10,000.00	
	योगः–	**1657.40**	**782,257.74**	**302,489.32**	**1,084,747.05**	

नोटः– कृषि वानिकी की महत्ता को देखते हुए सुरक्षा पर एक व्यक्ति पुरे वर्ष के लिए रखा गया है एवं संपोषण कार्य चार वर्षो तक किये जाने का प्रस्ताव है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

Establishment of demonstration site of Agroforestry with Mixed forest species

कृषि वानिकी कार्य का कार्यदर

योजना का नाम – कृषि वानिकी कार्य की स्थापना — कुल रकवा – 2 हे0

पौधों की दूरी – 5 मी0 x 5 मी0 — पौधों की संख्या – 800

प्लॉट स0 – 2288 थाना नं0 – 09 थाना – अनगड़ा — स्थल का नाम – चतरा

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
क	वित्तीय वर्ष 2020–21 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 295.80					
1	**वानिकी कार्य**					
1.1	वृक्षारोपण	17.6	5,206.08	0.00	5,206.08	
1.2	दो कोड़नी एवं निकौनी	20.0	5,916.00	0.00	5,916.00	
1.3	सुरक्षा पर व्यय	365.0	107,967.00	0.00	107,967.00	
1.4	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	0	-	1,136.00	1,136.00	
1.5	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	0	-	150.00	150.00	
1.6	डीजल मोबील पम्प की मरम्मति एवं संचालन पर व्यय	0	-	60,000.00	60,000.00	
2	**कृषि कार्य**					कृषि विज्ञान केन्द्र, राँची, जिला कृषि पदाधिकारी, राँची एवं उपायुक्त, राँची द्वारा अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर।
2.1	वर्ष में दो बार दलहन (रबी एवं खरीफ) लगाने पर व्यय (0.4 ha.)	288	85,190.40	5,318.00	90,508.40	सामग्री में 20% वृद्धि के साथ
2.2	वर्ष में तीन बार मौसमी सबजियों (रबी एवं खरीफ) लगाने पर व्यय (0.3 ha.)	240	70,992.00	65,860.80	136,852.80	सामग्री में 20% वृद्धि के साथ
3	JPF-Agroforestry Experts @ Rs. 16000/- per month	0	192,000.00	0.00	192,000.00	
4	**Training meeting & travel**					
4.1	Introductory workshop in project area (2 workshop)	0	50,000.00	0.00	50,000.00	
4.2	Traveling allowance to attained workshop and seminar for concerned subject	0	30,000.00	0.00	30,000.00	
5	**Data collection & reports**	0		0.00		
5.1	Data collection and Project Result Documentation	0	10,000.00	0.00	10,000.00	
5.2	COMMUNICATIONS/REPORTS/ LITERATURE/ Stationary/other	0	10,000.00	0.00	10,000.00	
	योगः–	**930.60**	**567,271.48**	**132,464.80**	**699,736.28**	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–2 (ज)

बीज उत्पादन क्षेत्र (Seed Production Area) की स्थापना का कार्यदर

योजना का नाम – बीज उत्पादन क्षेत्र की स्थापना — कुल रकवा – 2.61 हे0

स्थल का नाम – घुरलेटा — वृक्षो की संख्या – 390(अधिकतम)

प्लॉट स0 – 113 थाना नं0 – 49 थाना – अनगड़ा — G.P.S Coordinates - N 23.23'09.9" E 85.34'40.05"

क्र0 सं0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
क	वित्तीय वर्ष 2020–21 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 295.80						
1	सीड प्रोडक्शन हेतु चयनित गुणाढ़य वृक्षों (150 वृक्ष प्रति हे0) की कोड़नी 5 फीट की त्रिज्या में एवं 6" ईंच गहराई तक।	हे0	31.32	9264.46	0.00	9264.46	
2	गुणाढ़य वृक्ष वार अलग अलग बीज संग्रहण, प्रसंस्करण, भंडारण एवं अभिलेख संधारण कार्य।	हे0	26.1	7720.38	2610.00	10330.38	
3	प्रत्येक वृक्ष में जैविक खाद डालना/उर्वरक, डी0ए0पी0 डालना आवश्यकतानुसार।	हे0	8	2366.40	2610.00	4976.40	
4	विविध कार्य (छायांकन,साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0.00	0.00	522.00	522.00	
	योग –		65.42	19351.24	5742.00	25093.24	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–8(ग)

कृषि वानिकी कार्य का कार्यदर

योजना का नाम – कृषि वानिकी कार्य की स्थापना

कुल रकवा – 3 हे0

पौधों की दूरी – 5 मी0 x 5 मी0

पौधों की संख्या – 1200

स्थल का नाम – महिलौंग

मजदूरी प्रति मानव दिवस : रू0 249.83

प्लॉट संख्या– 3262 (P)

क. सं0	कार्य विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय	Item No.	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
क	वित्तीय वर्ष 2020–21 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 295.80						
1	वानिकी कार्य						
1.1	वृक्षारोपण	26.4	7809.12	0.00	7809.12	1	
1.2	दो कोड़नी एवं निकौनी	30.0	8874.00	0.00	8874.00	2	
1.3	सुरक्षा पर व्यय	365.0	107967.00	0.00	107967.00	3	
1.4	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	0.0	0.00	450.00	450.00	5	
1.5	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	0.0	0.00	1704.00	1704.00	23	
1.6	डीजल मोबील पम्प की मरम्मति एवं संचालन पर व्यय	-	-	60000.00	60000.00	22	
2	कृषि कार्य						कृषि विज्ञान केन्द्र, राँची, जिला कृषि पदाधिकारी, राँची एवं उपायुक्त, राँची द्वारा अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर।
2.1	वर्ष में दो बार दलहन (रबी एवं खरीफ) लगाने पर व्यय (1.2 ha.)	144	42595.20	7903.00	50498.20		सामग्री में 10% वृद्धि के साथ
2.2	वर्ष में तीन बार मौसमी सबजियों (रबी एवं खरीफ) लगाने पर व्यय (0.9 ha.)	120	35496.00	43467.00	78963.00		सामग्री में 10% वृद्धि के साथ
3	JPF-Agroforestry Experts @ Rs. 16000/- per month		192000.00		192000.00		
4	**Training meeting & travel**						
4.1	Introductory workshop in project area (2 workshop)		50000.00		50000.00		L. S.
4.2	Traveling allowance to attained workshop and seminar for concerned subject		30000.00		30000.00		L. S.
5	**Data collection & reports**						
5.1	Data collection and Project Result Documentation		10000.00		10000.00		L. S.
5.2	COMMUNICATIONS/REPORTS/ LITERATURE/Stationary/other		10000.00		10000.00		L. S.
	योगः–	**685.40**	**494741.32**	**113524.00**	**608265.32**		

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वितीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-05/2020/278 दिनांक - 26-Mar-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101600103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : TRAINING FACILITIES(0343) Centeral Scheme : NA	93853	DRNFWL032 VISHWANATH SAH CCF & STATE SILVICULTURIST JH	1,304,700.00 रुपये तेरह लाख चार हजार सात सौ
2	S 19 240601101600103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : TRAINING FACILITIES(0343) Centeral Scheme : NA	93855	DRNFWL020 N.S.R. KUMAR CF.PLANTATION RES.&EVL.JHKD	3,262,300.00 रुपये बत्तीस लाख बासठ हजार तीन सौ

योग: 4,567,000.00

क्रमिक योग: रुपये पैंतालीस लाख सड़सठ हजार

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCH

 59.97.145.181 Run Date: 26/3/2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
3	S 19 240601101600103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : TRAINING FACILITIES(0343) Centeral Scheme : NA	93856	DRNFWL009 DR. VIJAY SHANKAR DUBEY IFS DY.CF.TRAINING RANCHI	1,250,000.00 रुपये बारह लाख पचास हजार
4	S 19 240601101600103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : TRAINING FACILITIES(0343) Centeral Scheme : NA	93857	DRNFWL019 PARITOSH UPADHYAY IFS CF.WORKING PLAN CIRCLE RANCHI	1,097,400.00 रुपये दस लाख सित्तानवे हजार चार सौ
5	S 19 240601101600323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : TRAINING FACILITIES(0343) Centeral Scheme : NA	93859	DRNFWL032 VISHWANATH SAH CCF & STATE SILVICULTURIST JH	1,064,700.00 रुपये दस लाख चौसठ हजार सात सौ

योग: 3,412,100.00

क्रमिक योग: रुपये उन्नासी लाख उन्नासी हजार एक सौ 7,979,100.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-05/2020/278 दिनांक - 26-Mar-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
6	S 19 240601101600323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : TRAINING FACILITIES(0343) Centeral Scheme : NA	93860	DRNFWL020 N.S.R. KUMAR CF.PLANTATION RES.&EVL.JHKD	520,500.00 रुपये पाँच लाख बीस हजार पाँच सौ
7	S 19 240601101600331 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 03 - प्रशासनिक व्यय 31 - परामर्शी शुल्क **State Scheme** State Scheme : TRAINING FACILITIES(0343) Centeral Scheme : NA	93864	DRNFWL020 N.S.R. KUMAR CF.PLANTATION RES.&EVL.JHKD	1,057,000.00 रुपये दस लाख सत्तावन हजार

योग: 1,577,500.00

क्रमिक योग: रुपये पिनचानवे लाख छप्पन हजार छः सौ 9,556,600.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND